

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण
कपुराराम पुत्र हंसाराम जाति मेघवाल
निवासी बेडा तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2026/6
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
06 01 26	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम मोरी स्थित भूमि खसरा नंबर 565/8 कुल रकबा 2.8540 हैक्टर किस्म बारानी सोयम कुल लगान 11.42 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, दूदनी एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इच्छादाई
(ओ. 20 सल 6, 7 जाब्ला दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्वाई, आर.ए.एस.

वादीगण
कपुराराम पुत्र हंसाराम जाति मेघवाल
निवासी बेडा तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(मूनिवारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2026/6
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिवं मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम मोरी स्थित भूमि खसरा नंबर 565/8 रकबा 2.8540 हैक्टर किस्म बारानी सोयम कुल लगान 11.42 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, दूदनी एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।


बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06/01/26 को जारी की गई।



(दिनेश विश्वाई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली



राजस्थान सरकार		NIC-BHUNAKSHA
खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)		दिनांक : 20/09/2025 02:49:36 PM
जिला :पाली	तहसील : बाली	भू. अ. नि. क्षेत्र :बेडा
पटवारी हल्का :दूदनी	ग्राम : मोरी	



खसरा संख्या :565/8 क्षेत्रफल : 2.8540 Hectare खाता संख्या : 228पुराना खाता संख्या :47
 भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी सोयम [2.8540, 11.42]

- 1.) कपुराराम पुत्र हंसाराम हिस्सा- 3987/28540 जाति- मेघवाल सा.बेडा खातेदार
- 2.) करणकुमार पुत्र भंवरलाल हिस्सा- 2713/28540 जाति- सरगरा सा. कोठार खातेदार
- 3.) कविता पत्नी नरेन्द्र कुमार हिस्सा- 3803/28540 जाति- मेघवाल सा. बेडा खातेदार
- 4.) कोमल पुत्र सुरेशकुमार हिस्सा- 1861/14270 जाति- सरगरा सा. बेडा खातेदार
- 5.) दिनेशराज पुत्र भबुताराम हिस्सा- 629/5708 जाति- मेघवाल सा. बेडा खातेदार
- 6.) नरेन्द्र कुमार पुत्र भबुताराम हिस्सा- 170/1427 जाति- मेघवाल सा. बेडा खातेदार
- 7.) सपना पुत्री सुरेश कुमार हिस्सा- 3987/28540 जाति- मेघवाल सा. बेडा खातेदार
- 8.) सुरेश कुमार पुत्र कपूर राम जी हिस्सा- 3783/28540 जाति- सरगरा House No.-0, Colony- BEDA, Area- BEDA, City- BEDA, Pin code- 306126, District- PALI, State- RAJASTHAN खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर (पटवारी)
 पटवारी (पटवारी)
 पटवार मण्डल - दूदनी
 जिला - बाली (जिला-पाली)

नोट :-
 1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

तहसीलदार (प.अ.) बाली